जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I Shikha Rohilla D/o Sh. Chander Prakash R/o H.NO 3102, Sec-23, Gurgaon-122017 declare that Kumari Shikha, Shikha Kumari & Shikha Rohilla are names of same person. 0040548393-1

I,Mayank Tiwari S/O Akshay Kumar Tiwari R/O H.no A-61,gali no.4 Nathupura Mod,Uttrakhand Shastri park,Part-1 Burari, Delhi : 110084 have changed my name to Anurag Tiwari 0070714124-1

I Charanjit Singh Bhatia S/o Late Sh Sampuran Singh Bhatia R/o G-41B, G Block, Hari Nagar, Jail Road, New Delhi-110058 is also known as Charanjit Singh. In future I will be known as Charanjit Singh Bhatia for all purposes. 0040548421-1

I,Neeru W/o Pawan Kumar R/o F-7,Sector-22, Noida,inform that my name has been, mistakenly written-as Neenu in my daughter's birth certificate,that my correct name is Neeru for all,future purposes. 0040548419-1

I, Varun Prakash Srivastva S/o Mr. Gyan Prakash Srivastava R/o Flat No.G2, Plot No.52, Gyan Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh have changed my name to Varun Prakash Srivastava. 040548476-1

I, Mohammad Athar S/o Azhar Ali R/o V-303, Taj Enclave, Geeta Colony, Delhi-110031. My minor son's Mohammad Fahad correct date of birth is 04.12.2005. 0040548416-1

I, Lovely Agarwal, Mother of Prisha garg, R/O 119, Gate no.3, Anand Vihar, Pitampura, Delhi-110034 have changed my daughter's name as PRISHA AGARWAL vide affidavit no. IN-DL61512532969321S dated 27.07.2020 for all future purposes. 0040548417-1

I, Krishna, S/O Jugakhar Sharma, R/O Huda Qt. No. 2, Water Works, Sector 7 Extension, Gurgaon, Haryana, 122001, have changed my name to Krishna Sharma 0070714126-1

I Prerna D/O, Sanjay Setia R/o Od-59, First Floor, Malibu Towne, Sohna Road, Sec -47, Gurugram have changed my name to Prerna Setia 0040548388-1

I Prachi D/O, Sanjay Setia R/o Od-59,first Floor, Malibu Towne Sec 47 Gurugram have changed my name to Prachi Setia for all purposes. 0040548392-1

खोया+पाया

I, Vikram Singh P/o M/s Popan Trading co. Flat no B-2, Vidhut Apartment, Sector-12, Dwarka, New Delhi-110078, have lost the Bank Guarantee document **No - 21730100000341 Bg amount - 870231/- Date of issuance - 27/12/2019 Issuing Bank: Axis Bank Ltd Beneficary-Assessing authority Sonepat** during the transition being sent by Normal post to BG Confirmation Desk , Transaction Banking Operations 5th floor Gigaples, Building No-1, Plot No I.T.5 MIDC, Airoll Knowledge Park , Airoli Navi Mumbai-400708. Founder may pls contact #9312009918

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public that Ravi Kant Kathuria, S/o Late Shri Om Parkash Kathuria, R/o B-397, Street No. 4, Majlis Park, Delhi-110033 is the registered owner of property bearing Deed No. 2407, of Plot No. A595, Sushant Lok, Phase 1, Tehsil & District Gurgaon.

The original Sale Deed dated 9th May 2019 has been misplaced and not traceable. Any other person(s) by virtue of that missing Deed shall not have any right, claim or interest over the property and it shall be supposed as null & void. Whosoever try to use those documents in any manner shall be prosecuted as the matter has been reported to this effect to Delhi Police vide LR No. 338287/2020 on 04.06.2020. Moreover, by virtue of remaining deeds, Mr. Ravi Kant Kathuria is the absolute owner of the property in hand in all respects whatsoever.

Dhruv Rohatgi
Advocate
ADAZ Law Chambers
A-265, 2nd Floor,
Defence Colony, New Delhi

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

विमानों में फोटो-वीडियो बनाने की छूट लेकिन अफरातफरी न हो : डीजीसीए

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

विमानन नियामक डीजीसीए ने रविवार को साफ किया कि यात्री विमान के अंदर फोटो ले सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। हालांकि वे ऐसे रिकार्डिंग उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिससे अफरा-तफरी हो, उड़ानों का परिचालन बाधित हो, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो या फिर चालक दल के सदस्यों द्वारा वह प्रतिबंधित हो। इससे पहले, शनिवार को नियामक ने कहा था कि अगर किसी को विमान के अंदर फोटो लिर हुए पाया जाता है, अनुसूचित उड़ान को दो सप्ताह के लिए निलंबित किया जाएगा।

दो दिन पहले, नागरिक विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो की एक चंडीगढ़-मुंबई उड़ान के दौरान मीडियाकर्मियों द्वारा सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन और सामाजिक दूरी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर एअरलाइन से उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा था। उस उड़ान में अभिनेत्री कंगना रनौत भी थीं। नौ सितंबर को उड़ान के दौरान घटना के वीडियो के अनुसार रिपोर्टर और कैमरा पर्सन ने रनौत की टिप्पणी लेने को लेकर धक्का-मुक्की की। उस समय रनौत विमान की अगली कतार की सीट पर बैठी थी।

डीजीसीए ने रविवार को अपने आदेश में स्पष्ट किया किया कि नौ दिसंबर 2004 को जारी परिपत्र के अनुसार विमान में यात्रा करने वाले पात्र यात्री फ्लाइट के अंदर, उड़ान भरने और उसके नीचे उतरने के दौरान फोटो खींच सकते है और वीडियो बना सकते हैं। आदेश में कहा गया है, 'हालांकि इस मंजूरी में ऐसे किसी प्रकार के ऐसे रिकार्डिंग उपकरण के उपयोग की अनुमति नहीं होगी जिससे हवाई सुरक्षा को खतरा पहुंचे, मौजूदा नियमों का उल्लंघन या फिर अफरा-तफरी हो या विमानों के परिचालन पर प्रतिकूल असर पड़े या फिर चालक दल के सदस्य ने उसके उपयोग मना किया हुआ है। आदेश में कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। रविवार का आदेश शनिवार को दिए गए आदेश को लेकर स्पष्टीकरण है। शनिवार के आदेश में कहा गया था, 'यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित यात्री विमान में अगर नियमों (फोटोग्राफी) का उल्लंघन होता है, उस मार्ग पर संबंधित उड़ान को घटना के अगले दिन से दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।' शनिवार के आदेश में कहा था कि वायुयान नियमन 1937 के नियम 13 के तहत किसी भी व्यक्ति को विमान के भीतर फोटोग्राफ लेने की अनुमति नहीं है। डीजीसीए या नागर विमानन मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही फोटोग्राफ लिये जा सकते हैं। डीजीसीए के नियम के अनुसार एअरलाइन उपद्रव करने वाले यात्री को आंतरिक जांच के बाद कुछ समय के लिए 'उड़ान वर्जित सूची' में डाल सकते हैं।

रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन अपूरणीय क्षति : कांग्रेस

नई दिल्ली, 13 (भाषा)।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रविवार को कहा कि उनके निधन के साथ ही गांव और किसानों की एक मजबूत आवाज सदा के लिए खो गई। कांग्रेस ने सिंह को 'बिहार का सपूत' बताते हुए कहा कि उन्हें राजनीति में नैतिकता की वकालत करने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके निधन से क्रांति के एक अध्याय का अंत हो गया।राहुल ने ट्वीट किया, 'रघुवंश प्रसाद सिंह जी के निधन के साथ ही गांव व किसान की एक मजबूत आवाज सदा के लिए खो गई है। गांवों व किसानों के उत्थान के लिए उनकी सेवा और लगन और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष को सदा याद रखा जाएगा। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि।' राहुल, अपनी मां सोनिया गांधी की मेडिकल जांच के लिए उनके साथ अमेरिका गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, 'ग्रामीण इलाकों, खेत-खलिहानों और सामाजिक न्याय की मजबूत आवाज रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रघुंवशजी को उनके योगदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।' कांग्रेस ने रघुवंश प्रसाद को श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर कहा, 'राजनीति में नैतिक मूल्यों के पैरोकार, वंचितों की एक प्रखर आवाज आज खामोश हो गई। आपका जाना जनक्रांति के इतिहास से एक अध्याय की समाप्ति है। बिहार के प्रिय बेटे रघुवंश बाबू को कांग्रेस परिवार की ओर से सादर श्रद्धांजलि।' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। रघुवंश प्रसाद सिंह का रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया।

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public that Pawan Duggal, S/o Late Shri Hans Raj Duggal, R/o E-36/9, Rajouri Garden, Delhi-110058 is the registered owner of property bearing Deed No. 3353, of House No. G-4, Plot No. 8, Manglam Paradise, Rohini Sector-3, Delhi-110085.

The original Sale Deed dated 30th May 2013 has been misplaced and not traceable. Any other person(s) by virtue of that missing Deed shall not have any right, claim or interest over the property and it shall be supposed as null & void. Whosoever try to use those documents in any manner shall be prosecuted as the matter has been reported to this effect to Delhi Police vide LR No. 2639952/2017. Moreover, by virtue of remaining deeds, Mr. Pawan Duggal is the absolute owner of the property in hand in all respects whatsoever.

Dhruv Rohatgi
Advocate
ADAZ Law Chambers
A-265, 2nd Floor,
Defence Colony, New Delhi

पूरक आरोपपत्र राजनीतिक आकाओं के इशारे पर हुआ तैयार : माकपा

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

माकपा ने दिल्ली दंगा मामले में पुलिस द्वारा कुछ आरोपियों के बयानों के आधार पर दाखिल पूरक आरोपपत्र में पार्टी के नेता सीताराम येचुरी और नागरिक संगठन के सदस्यों का संदर्भ दिए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पोलित ब्यूरो ने एक बयान में कहा, 'माकपा दिल्ली पुलिस द्वारा अपने राजनीतिक आकाओं के विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए इस आपत्तिजनक कदम की निंदा करती है।

पार्टी सरकार से आग्रह करती है कि शांतिपूर्ण राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों को अपराध बनाने से परहेज करे।' पार्टी का बयान ऐसे वक्त आया है, जब एक दिन पहले ही माकपा महासचिव येचुरी, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयति घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक अपूर्वानंद का नाम सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर 'भड़काने और गोलबंद' करने के लिए दंगा मामले में दायर पूरक आरोप पत्र में होने की खबरें सामने आईं।

माकपा पोलित ब्यूरो द्वारा रविवार को जारी बयान में कहा गया कि 'वह फरवरी में उत्तरी दिल्ली में खौफनाक सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अग्रणी नेताओं, शिक्षाविदों, संस्कृति जगत की शख्सियतों और कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत काम करने वाली दिल्ली पुलिस के इस कदम से हैरान है।' बयान में कहा, 'पक्षपात और प्रतिशोध वाले इस कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है।'

बयान में आरोप लगाया गया है कि भाजपा-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यह साबित करने पर तुली हुई है कि दिल्ली दंगे की साजिश नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोधियों ने रची।

माकपा ने आरोप लगाया, 'भाजपा-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा नामी प्रतिद्वंद्वियों को फंसाने और उन्हें अपराधी साबित करने के लिए पुलिस और सीबीआइ, एनआइए, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है।'

छत्तीसगढ़ : नौ नक्सली गिरफ्तार

रायपुर, 13 सितंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षाकर्मियों द्वारा नौ नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने कहा कि जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और जिला पुलिस के संयुक्त दल ने मैलवाड़ा और मोखपाल जिले के बीच स्थित जंगल से नक्सलियों को गिरफ्तार किया। अधिकारी ने कहा कि गश्ती दल को देख कर नक्सलियों ने भागने का प्रयास किया लेकिन कुछ दूर तक पीछा करने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग माओवादियों की अग्रिम इकाई दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन और जन मिलिशिया समूहों के सक्रिय सदस्य हैं।

सरस अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अलवर
ALWAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD. ALWAR (RAJ.)
ISO 9001-2008 & HACCP CERTIFIED ORGANIZATION

क्रमांक - अ.डे./एफ./विपणन/2020-21/37366-69 **वितरक चाहिऐं** दि. 10.09.2020

दिल्ली व गुरुग्राम के विभिन्न क्षेत्रों में सरस के नये बिक्री बिन्दु स्थापित करने हेतु आर्थिक रूप से सुदृढ इच्छुक पार्टी/ व्यक्तियों से वितरक नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इसके लिए इच्छुक पार्टी/ व्यक्ति 30 सितम्बर 2020 तक अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अलवर भवानी तोप सर्किल, अलवर (e-mail-managermktgalwar@gmail.com) को आवेदन प्रेषित कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु मोबाईल न. 9001097849 पर सम्पर्क कर सकते है। उपरोक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों का निस्तारण "पहले आओ, पहले पाओ" की नीति के अनुसार किया जावेगा। प्रबन्ध संचालक

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मैसर्स मारियाना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरधारिता पैटर्न, (कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित), जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय इंडियाबुल्स हाउस, प्लॉट 448-451, उद्योग विहार फेज-V, गुरुग्राम, हरियाणा में है, को 2011 का लाइसेंस नंबर 9, दिनांक 27.01.2011, सेक्टर 104, गुरुग्राम में 2.11875 एकड़ क्षेत्र में व्यावसायिक कॉलोनी स्थापित करने के लिए दिया गया है, "ग्राम धनवापुर भूमि क्षेत्र-12/10/1 मिन (2-8), 11/2 (6-19), 20 (7-0), 11 / 16/1 (0-12) कुल 16 कनाल 19 मरला (2.11875 एकड़); बीआरईपी एशिया एसबीएस एल एण्ड टी होल्डिंग(एनक्यू) लिमिटेड, बीआरईपी एशिया जीटी एल एण्ड टी होल्डिंग (एनक्यू) प्रा. लिमिटेड और बीआरईपी VIII एसबीएस एल एण्ड टी होल्डिंग (एनक्यू) लिमिटेड के पक्ष में बदलने का प्रस्ताव है।

और जबकि निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा के कार्यालय ने पत्र दिनांक 17/08/2020; ज्ञापन नं. एलसी-1922 सहायक(एके) 2020/14375 द्वारा हमें उपरोक्त शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव के बारे में आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए निर्देशित किया है। जैसे, किसी भी संस्था/व्यक्ति के पास कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आपत्ति होने या दावा करने का अधिकार है, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर सीनियर टाउन प्लानर (एसटीपी), एचएसवीपी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर -14, गुरुग्राम, हरियाणा 122001के कार्यालय में लिखित में प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं, असफल होने पर यह माना जाएगा कि कोई दावा कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव के प्रतिकूल नहीं है।

PUBLIC NOTICE

प्रपत्र आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,
उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपबन्ध (अ) के मामले में

तथा

जाटको व्यापार प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय ऑफिस स्पेस. नं. 120, प्रथम तल, सुन्दरम टॉवर, प्लॉट 22-23, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063 पर है।

...आवेदक

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "रा.रा.क्षे. दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानान्तरित करने के लिए मंगलवार, 1 सितम्बर, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की माँग की गयी है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय, बी-2, विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :

जाटको व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : U51909DL1995PTC315859
ऑफिस स्पेस. नं. 120, प्रथम तल, सुन्दरम टॉवर, प्लॉट 22-23, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063
ई-मेल : zatcovyapar@gmail.com

आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से
जाटको व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
ह./-
पंकज बंसल
निदेशक (डीआईएन : 00655091)

दिनांक : 14.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client M/s Apollo Medicos (Partnership Firm) is being dissolved and being converted into proprietorship business of Mr. Giris Chandra Joshi with name M/s Apollo Medicos and conversion shall be effective with effect from date 30th September 2020.

Sd/-
FIROZ AHMED, Advocate
Ch. No. 619, Patiala House Courts, New Delhi-110001

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये
समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

मामले में

मै. एम.डी. रीजिन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः ए-401, 4था एवेन्यू, जीसी-4, गौर सिटी-1, ग्रेटर नोएडा, जी.बी. नगर, नोएडा, गौतम बुध नगर, उ.प्र.-201009 ईन

आवेदक

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "उत्तर प्रदेश राज्य" से "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 8 सितम्बर, 2020 को आयोजित वार्षिक साधारण सभा/ असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल कर अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
मै. एम.डी. रिजिन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
जतिन्दर खुराना
(निदेशक)
DIN: 08606291

तिथिः 14.9.2019
स्थानः नई दिल्ली

केनरा बैंक Canara Bank

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों ...

तिथि: 9 सितम्बर, 2020
स्थानः नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
केनरा बैंक

नकारात्मक रिपोर्ट वाले विधायक ही भाग ले सकेंगे उत्तराखंड मानसून सत्र में : विधानसभा अध्यक्ष

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 13 सितंबर।

उत्तराखंड विधानसभा के 23 सितंबर से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में वे ही विधायक भाग ले पाएंगे, जिनकी 72 घंटे पहले तक की कोराना जांच रिपोर्ट निगेटिव होगी। कोरोना संकट को देखते हुए इस बार सदन में अधिकारियों के साथ ही स्टाफ की संख्या भी सीमित रखी जाएगी। इस बीच सत्र की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में सभामंडप का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने सत्र की तैयारियों पर संतुष्टि जताई। पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के विधायकों के अलावा अन्य विधायकों से भी आग्रह किया जाएगा कि वे वर्चुअल माध्यम से सदन की कार्यवाही में भाग लें। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा में 70 निर्वाचित और एक मनोनीत विधायक हैं, लेकिन उनके लिए सभामंडप में बैठने की व्यवस्था सीमित है। कोरोनाकाल में सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों के हिसाब से व्यवस्था करने पर सभामंडप छोटा पड़ रहा है। इसे देखते हुए विधानसभा पिछले कई दिनों से तमाम विकल्पों में जुटी है और विधानसभा में सामाजिक दूरी बनाकर 46 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था हो रही है, जबकि प्रेस गैलरी, दर्शक दीर्घा गैलरी और राज्यपाल गैलरी में भी विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ सभामंडप का निरीक्षण करते हुए सदन में विधायकों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही वर्चुअल माध्यम से जुडने वाले विधायकों के लिए की जा रही व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सदन के भीतर अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को सुझाव भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि सदन में प्रवेश करने से पहले सभी विधायकों को 72 घंटे पहले तक की कोराना जांच रिपोर्ट की प्रति विधानसभा को देनी होगी। जिन विधायकों की रिपोर्ट निगेटिव होगी, वे सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा में 12 विधायकों की आयु 65 वर्ष से अधिक है। जिन्हें विधानसभा में न आने की सलाह दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सभामंडप में सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों के हिसाब से 47 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है। इसे देखते हुए पत्रकार दीर्घा, दर्शक दीर्घा एवं अघिकारी दीर्घा में भी विधायकों के बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है। राज्यपाल दीर्घा में अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। विधायकों को प्रवेश द्वार से ही सदन तक तीन बार विषाणुमुक्त करने की व्यवस्था की जा रही है। सदन में प्रवेश करते ही विधायकों को मास्क, ग्लब्स और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए सत्र चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखकर सत्र को विधिवत आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सभी सदस्यों से सहयोग मांगा जा रहा है।

> कोरोनाकाल में सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों के हिसाब से व्यवस्था करने पर सभामंडप छोटा पड़ रहा है। इसे देखते हुए विधानसभा पिछले कई दिनों से तमाम विकल्पों में जुटी है और विधानसभा में सामाजिक दूरी बनाकर 46 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था हो रही है, जबकि प्रेस गैलरी, दर्शक दीर्घा और राज्यपाल गैलरी में भी विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

हिजबुल ने जम्मू के नेताओं को भेजा धमकी भरा पत्र, मामला दर्ज

जम्मू, 13 सितंबर (भाषा)।

पुलिस ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से धमकी भरा पत्र मिलने के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि उर्दू में लिखे दो पन्नों के पत्र में धमकी दी गई हैं कि अगर जम्मू क्षेत्र के मुख्यधारा के नेता राजनीति नहीं छोड़ेंगे, तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पत्र आतंकवादी संगठन के 'लेटर पैड' पर लिखा गया है। यह पत्र जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रमन भल्ला को शुक्रवार को उनके मुख्यालय में डाक के जरिए भेजा गया। जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीधर पाटिल ने कहा, 'हमने संबद्ध धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है।' भल्ला ने कहा कि पत्र मिलने के बाद उन्होंने तत्काल पुलिस से संपर्क किया क्योंकि इसकी पूरी तफ्तीश जरूरी है। कांग्रेस नेता ने कहा, 'हम राष्ट्र-विरोधी तत्वों की ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।' पत्र पर हिजबुल मुजाहिदीन के एक स्वयंभू डिवीजनल कमांडर के हस्ताक्षर हैं।

पत्र में केंद्रीय मंत्री सिंह, भल्ला, जम्मू -कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र राणा डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता चौधरी लाल सिंह और नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्ष देव सिंह के अलावा कई अन्य पूर्व मंत्रियों, विधायकों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पदाधिकारियों सहित विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के 17 वरिष्ठ नेताओं के नाम हैं।

पत्र में कहा गया है, ' हम आपको चेतावनी देते हैं कि राजनीति छोड़ दें और स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई में हमारा साथ दें, अन्यथा आपके खिलाफ मौत का वारंट जारी हो चुका है। कोई भी सुरक्षा कवच हमसे नहीं बचा सकता।

भागलपुर पुलिस ने सात तस्करों को गिरफ्तार कर चौदह सौ बोतल अवैध शराब पकड़ी

भागलपुर,13 सितंबर (जनसत्ता)।

पूर्ण शराब बंदी के बावजूद तस्करी कर लाई गई शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। एसएसपी आशीष भारती ने आज बताया कि 400 कार्टून जिसमें रखी 14076 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। साथ ही एक ट्रक समेत सात तस्करों को दबोचा गया है। एसएसपी ने बताया कि बिहार विधान चुनाव व पर्व-त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले के हरेक थानों को अपराधियों व शराब तस्करों के खिलाफ सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। इसी के तहत औद्योगिक थाना के तहत गोपालपुर गाव के पास से पुलिस ने छापामारी की। और अवैध शराब से लदा ट्रक पकड़ा गया। छापेमारी दल का नेतृत्व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर पूरन झा कर रहे थे। जिन्होंने तकनीकी तरीके से तस्करों का सुराग लिया। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों में भागलपुर का सत्यम शिवम सुंदरम , सुपौल का नित्यानंद शर्मा , शशि आनंद राज, गगन कुमार, मोहन कुमार, मधेपुरा का विवेक कुमार, अमित कुमार शामिल है।

www.readwhere.com